<u>न्यायालयः– सिविल न्यायाधीश, सादुलशहर–जिला श्रीगंगानगर</u>

पीठासीन अधिकारी	**:**	**मीना गहलोत, आर.जे.एस. {अतिरिक्त कार्यभार}**
नम्बरी दीवानी संख्या	**:**	**02/2026**
सी.आई.एस. नं०	**:**	**02/2026**

1. रोजी पत्नी स्व. यादविन्द्र कुमार, उम्र–38 वर्ष, निवासी–बावरी मोहल्ला, हाकमाबाद, तहसील–सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर (राज.)।
2. गीता देवी पत्नी बृजलाल, निवासी–बावरी मोहल्ला, हाकमाबाद, तहसील–सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर (राज.)।

––वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर।
2. हर आम व खास।

––प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत् घोषणात्मक डिक्री</u>

<u>उपस्थिति :–</u>

1– वादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव सिहाग।

2– प्रतिवादी सं. 02 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

3– प्रतिवादी सं. 01 की ओर से अधिवक्ता श्री मेजर सिंह।

:: <u>निर्णय</u> :: <u>दिनांक :– 01.04.2026</u>

01. वादीगण की ओर से यह दावा बाबत् स्थाई घोषणा न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.01.2026 को पेश किया गया।

02. वादीगण के संक्षिप्त तथ्यानुसार वादीया सं. 1 के पति व वादीया सं. 2 के पुत्र स्व. यादविन्द्र कुमार पुत्र श्री बृज लाल की मृत्यु दिनांक 26.11.2025 को हो चुकी है। स्व. यादविन्द्र कुमार के वादीगण विधिक वारिसान हैं, वादीगण के अलावा स्व. यादविन्द्र कुमार का कोई अन्य विधिक वारिस नहीं है। इस प्रकार स्व. यादविन्द्र कुमार के केवल दो वारिसान वादीगण हैं। स्व. यादविन्द्र कुमार का निधन निर्वसीयती रूप में हुआ, इसलिए वादीगण ही उनकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति के विधिक रूप से हकदार हैं। परन्तु वादीगण को स्व. यादविन्द्र कुमार की उक्त सम्पत्तियां विधिक वारिसान होने के नाते अपने नाम से दर्ज करवाने के लिए वारिस प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। परन्तु राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों से वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार

वापस ले लिया, इसलिए ग्राम पंचायत हाकमाबाद वादीगण के हक में वारिस प्रमाण पत्र जारी करने में असमर्थ है। वारिस प्रमाण पत्र के अभाव में स्व. यादविन्द्र कुमार की चल व अचल सम्पत्तियां वादीगण द्वारा अपने नाम दर्ज करवाना सम्भव नहीं है और वादीगण उक्त सम्पत्तियां अपने नाम दर्ज नहीं होने के कारण बतौर मालिक उक्त सम्पत्तियों का उपयोग व उपभोग करने में असमर्थ हैं। स्व. यादविन्द्र कुमार की मृत्यु के उपरान्त वादीगण उनके पत्नी व माता होने के नाते उनके विधिक वारिसान हैं और इस आशय की घोषणा प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी हैं। वादीगण ने कई बार प्रतिवादी सं. 1 के कार्यालय में जाकर मौखिक निवेदन किया कि वह स्व. यादविन्द्र कुमार का वारिस होने की तस्दीक वादीगण को दे दे ताकि उनकी सम्पत्तियों का नामान्तरकरण वादीगण के हक में करवाकर वादीगण उक्त सम्पत्तियों पर मालिकाना हक प्राप्त कर सकें। परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ने कुछ दिन टालमटोल करने के बाद अंतिम रूप से दिनांक 28.12.2025 को बमुकाम जिला कलेक्ट्रेट श्रीगंगानगर में वादीगण को स्व. यादविन्द्र कुमार के वारिस होने की तस्दीक देने से ऐलानिया इंकार कर दिया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा इंकार करने के बाद वादीगण के पास न्यायालय से स्व. यादविन्द्र कुमार के विधिक वारिसान होने की घोषणा की डिक्री का अनुतोष चाहने के1 अलावा कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का होने के कारण वादीगण राजस्थान सरकार को धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता का विधिक नोटिस प्रेषित करने से वाद की सुनवाई में अनावश्यक देरीना कारित होगा और वादीगण को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 80 (2) सी. पी. सी. वाद पत्र के साथ पेश किया जा रहा है, जिसे वाद पत्र का एक भाग समझा जावे। प्रतिवादी सं. 2 हर आम व खास को बनाया गया है, क्योंकि वादीगण हर आम व खास के खिलाफ सर्वबन्धी निर्णय के रूप में स्व. यादविन्द्र कुमार के विधिक वारिसान होने की घोषणा की डिक्री का अनुतोष प्राप्त करना चाहते हैं। अंत में निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि स्वर्गीय यादविन्द्र कुमार पुत्र श्री बृजलाल, निवासी-बावरी मोहल्ला, हाकमाबाद, तहसील-सादुलशहर, जिला-श्रीगंगानगर(राज.) के निर्वसीयत फौत होने के बाद विधिक उत्तराधिकारी वादीगण रोजी(पत्नी) व गीतादेवी(माता) हैं।

03. वादीगण की ओर से उक्त वाद प्रस्तुत किए जाने पर 16.01.2026 को प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये व अधिवक्ता वादीगण के निवेदन पर प्रतिवादी सं० 2 की तलबी हेतु सम्मन स्थानीय अखबार में साया करवाने के आदेश

दिए गए। दिनांक 16.02.2026 को अधिवक्ता वादीगण द्वारा सम्मन दैनिक समाचार पत्र 'लोक सम्मत' में दिनांक 29.01.2026 में साया करवाये अखबार की प्रति फार्म नंबर-03 के साथ न्यायालय में पेश की, जो शामिल पत्रावली की गई। प्रतिवादी सं० 2 हर आम व खास की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर एवं प्रतिवादी सं. 02 की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी सं.02 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गये, जो आज तक प्रभावी है

04. प्रतिवादी सं. 01 ने जवाब दावा पेश कर वादीगण के अभिकथनों को अस्वीकार किया एवं राज्य हित को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

05. उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गए हैः--

1. **"आया कि वादीया रोजी (पत्नी) व गीतादेवी(माता), स्वर्गीय यादविन्द्र कुमार पुत्र श्री बृजलाल , निवासी-बावरी मोहल्ला, हाकमाबाद, तहसील-सादुलशहर, जिला-श्रीगंगानगर(राज.) के निर्वसीयत फौत होने के बाद विधिक उत्तराधिकारी होने की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं?**
2. **अनुतोष ?**

06. वादीगण द्वारा साक्ष्य में रोजी का साक्ष्य शपथ-पत्र पेश कर उसके बयान पी.डब्ल्यू.01 रोजी के रूप में लेखबद्ध करवाए तथा प्रलेखीय साक्ष्य में दस्तावेज यादविन्द्र कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र फोटोप्रति प्रदर्श 1 ए पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

07. प्रतिवादी सं. 1 द्वारा मौखिक साक्ष्य में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य लेखबद्ध नहीं करवाई, बल्कि साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया है।

08. बहस अंतिम सुनी गई। तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण हेतु विरचित अवधार्य बिन्दु पर न्यायालय का विनम्र विनिश्चय निम्नानुसार हैः-

<u>विवाद्यक संख्या 1</u> :-

09. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादीगण पर था, जिसके संदर्भ में वादीगण ने अपने वाद पत्र में कथन किए हैं कि वादीया सं. 1 के पति व वादीया सं. 2

के पुत्र स्व. यादविन्द्र कुमार पुत्र श्री बृज लाल की मृत्यु दिनांक 26.11.2025 को हो चुकी है। स्व. यादविन्द्र कुमार के वादीगण विधिक वारिसान हैं, वादीगण के अलावा स्व. यादविन्द्र कुमार का कोई अन्य विधिक वारिस नहीं है। इस प्रकार स्व. यादविन्द्र कुमार के केवल दो वारिसान वादीगण हैं। स्व. यादविन्द्र कुमार का निधन निर्वसीयती रूप में हुआ, इसलिए वादीगण ही उनकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति के विधिक रूप से हकदार हैं। परन्तु वादीगण को स्व. यादविन्द्र कुमार की उक्त सम्पत्तियां विधिक वारिसान होने के नाते अपने नाम से दर्ज करवाने के लिए वारिस प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। परन्तु राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों से वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस ले लिया, इसलिए ग्राम पंचायत हाकमाबाद वादीगण के हक में वारिस प्रमाण पत्र जारी करने में असमर्थ है। वारिस प्रमाण पत्र के अभाव में स्व. यादविन्द्र कुमार की चल व अचल सम्पत्तियां वादीगण द्वारा अपने नाम दर्ज करवाना सम्भव नहीं है और वादीगण उक्त सम्पत्तियां अपने नाम दर्ज नहीं होने के कारण बतौर मालिक उक्त सम्पत्तियों का उपयोग व उपभोग करने में असमर्थ हैं। स्व. यादविन्द्र कुमार की मृत्यु के उपरान्त वादीगण उनके पत्नी व माता होने के नाते उनके विधिक वारिसान हैं और इस आशय की घोषणा प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी हैं। वादीगण ने कई बार प्रतिवादी सं. 1 के कार्यालय में जाकर मौखिक निवेदन किया कि वह स्व. यादविन्द्र कुमार का वारिस होने की तस्दीक वादीगण को दे दे ताकि उनकी सम्पत्तियों का नामान्तरकरण वादीगण के हक में करवाकर वादीगण उक्त सम्पत्तियों पर मालिकाना हक प्राप्त कर सकें। परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ने कुछ दिन टालमटोल करने के बाद अंतिम रूप से दिनांक 28.12.2025 को बमुकाम जिला कलेक्ट्रेट श्रीगंगानगर में वादीगण को स्व. यादविन्द्र कुमार के वारिस होने की तस्दीक देने से ऐलानिया इंकार कर दिया। वादिया रोजी पी.डब्ल्यू. 01 ने अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र में वादपत्र के अभिकथनों को ही दोहराया तथा अपने कथनों के समर्थन में यादविन्द्र कुमार का मृत्यु प्रमाण पेत्र पेश किया है।

10. पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का परिशीलन किया गया। न्यायालय के विनम्र मत में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण का मुख्यतः तर्क रहा है कि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी 02 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है और प्रतिवादी सं. 1 की ओर से किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। ऐसे में वादीगण की साक्ष्य का खण्डन नहीं हो पाया है। अतः वादीगण का दावा डिक्री किया जावे, इस संबंध में न्यायालय के विनम्र मत में प्रतिवादी सं. 02 विरूद्ध एकपक्षीय

कार्यवाही होने के कारण उनकी ओर से न तो कोई लिखित कथन पत्रावली पर है एवं न ही वादपत्र के अभिकथनों का किसी प्रकार से कोई विरोध ही हुआ है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 द्वारा भी किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जबकि वादीगण ने अपनी साक्ष्य के समर्थन में यादविन्द्र कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 ए पेश कर प्रदर्शित करवाया हैं। दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र यादविन्द्र कुमार प्रदर्श 1 ए का अवलोकन करें तो मृत्यु प्रमाण पत्र से यादविन्द्र कुमार पुत्र बृजलाल की मृत्यु होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में वादीगण के वाद-पत्र के अभिकथन, गवाहान की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से सम्पुष्ट हैं, जिन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। ऐसे दशा में उक्त अवधार्य बिन्दु वादीगण के पक्ष तय किया जाता है।

:: **अनुतोष** ::

11. चूंकि वादीगण वादपत्र के मुख्य विवाद्यक बिन्दु संख्या 1 अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। अतः वादीगण अपने वादपत्र के माध्यम से अभियाचित अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी होने पाये जाते हैं।

:: **आदेश** ::

12. फलतः वादीगण रोजी व अन्य का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण राजस्थान सरकार व अन्य बाबत् घोषणा अंतर्गत धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादीगण रोजी(पत्नी) एवं गीता देवी(माता) स्वर्गीय यादविन्द्र कुमार पुत्र श्री बृजलाल , निवासी-बावरी मोहल्ला, हाकमाबाद, तहसील-सादुलशहर, जिला-श्रीगंगानगर(राज.) के निर्वसीयत फौत होने के कारण विधिक जायज वारिसान हैं, की घोषणा की जाती है।

आदेशानुसार डिक्री पर्चा तैयार किया जावे। पक्षकारान् खर्च अपना - अपना वहन करेंगे।

(मीना गहलोत)

13. निर्णय आज दिनांक 01.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(मीना गहलोत)